फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री शिव सिंह चांदना निवासी सोनियाणा जनावद वार्ड सोनियाणा तहसील कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 34/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.09.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ से जरिये पत्रांक सू0अ0/रीडर/2023/55—57 दिनांक 01.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सोनियाणा ग्राम पंचायत जनावद तहसील गढ़बोर में किये गये अवैध अतिक्रमण की सूचना चाही गयी। उक्त वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक सू0अ0/रीडर/2023/55—57 दिनांक 01.08.2023 तहसीलदार गढ़बोर को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से जरिये क्रमांक लो.सु.अ.प्रा./2023/21 दिनांक 29.08.2023 से प्राप्त रिपोर्टानुसार परिवादी द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के अनुक्रम में अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू.रा.अ. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली आदेश जारी किये गये है। अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु दिनांक 21.03.2023 को अतिक्रमण हटाना प्रस्तावित था किन्तु पंचायत द्वारा संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपेक्षित नहीं है तथा पुलिस जाब्ता एवं पंचायत द्वारा संसाधन उपलब्ध होने पर अतिक्रमण हटाना संभव होगा। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ एवं तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर द्वारा उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुंभलगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)